

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-दो

शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई, 2023 (आषाढ़ 30, 1945)

लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति, विशेषाधिकार समिति तथा सामान्य प्रयोजन समिति में

रिक्त हुए एक स्थान की सूचना

छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य, श्री मोहन मरकाम को दिनांक 14 जुलाई, 2023 को मंत्री नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप वे विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति, विशेषाधिकार समिति एवं सामान्य प्रयोजन समिति के सदस्य नहीं रहे। अतः इन समितियों में एक-एक स्थान रिक्त हो गया है।

श्री मोहन मरकाम को प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति एवं विशेषाधिकार समिति का सभापति नियुक्त किया गया था। इन समितियों में भी सभापति का पद रिक्त होने के फलस्वरूप इन समितियों के निम्न सदस्यों को विधान सभा की नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 2023-2024 की शेष अवधि के लिए सभापति नियुक्त किया गया है :-

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. प्राक्कलन समिति | — श्री शैलेश पाण्डेय |
| 2. अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति
तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति | — श्री प्रकाश शक्राजीत नायक |
| 3. विशेषाधिकार समिति | — श्री अरुण वोरा |

दिनेश शर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधानसभा